न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

1. विकास पुत्र नेमचंदजी, जाति–जैन, निवासी–सिरोडी, तह. रेवदर, जिला–सिरोही, हाल निवासी– अहमदाबाद (गुजरात)
2. कमलाबेन पत्नी नेमचंदजी, जाति–जैन, निवासी–सिरोडी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही, हाल निवासी– अहमदाबाद (गुजरात)

बनाम

प्रत्यर्थी

1. पुखराज पुत्र नेमचंदजी, जाति–जैन, निवासी–लुणोल, तह. रेवदर, जिला–सिरोही हाल– बी– 108,बिल्डिंग नंबर 03, शालीभद्रनगर, बीपी रोड, भयंदर–ईस्ट, जिला– थाने (महाराष्ट्र)
2. अशोक कुमार पुत्र नेमचंदजी, जाति–जैन, निवासी–लुणोल, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही, हाल– 37, अरिहंत नगर सोसायटी, डी–केबिन लोकेशन रोड, साबरमती, अहमदाबाद (गुजरात)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर, जिला– सिरोही

राजस्व अपील संख्या: 30/2021

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा, अपीलार्थीगण की ओर से
2. पेरोकार सरकार (नायब तहसीलदार, सिरोही), प्रत्यर्थी संख्या–3 की ओर से

–: निर्णय :– दिनांक 20 जुलाई, 2021

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील तहसीलदार, रेवदर द्वारा ग्राम लुणोल, पटवार हल्का लुणोल के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 624 दिनांक 30.5.2000 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या– 3 की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई। जबकि प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को सम्मन की तामिल पंजीकृत डाक के माध्यम से होने के बावजूद भी प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 उपस्थित नही हुये एवं न ही इनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुये।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आढा ने अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम लुणोल, पटवार हल्का लुणोल, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही में खसरा संख्या 527 व 545 कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा भूमि अपीलार्थी के पिता/पति नेमचंद एवं नेमचन्द जी के भाई धर्मचंद, अमृतलाल पिसरान– फुलचंद जी महाजन के नाम की आई हुई है। अपीलार्थी अपने व्यवसाय हेतु अहमदाबाद में निवास्त है। अपीलार्थी के पिता/पति नेमचंद पुत्र फुलचं[illegible] है एवं नेमचंद पुत्र फुलचंद जी के स्वर्गवास के बाद पटवारी हल्का [illegible] पुत्र फुलचंद जी के विधिक वारिसान के संबंध में कोई जांच [illegible] 624 दायर किया, जिसे तहसीलदार, रेवदर द्वारा दिनांक 30.5.2000 को स्वीकृत किया गया है। पटवारी

......पेज

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.08.02 12:43:17 IST
Reason: SelfAttested

हल्का लुणोल व तहसीलदार, रेवदर ने बिना कोई जांच पडताल एवं अपीलार्थी के दस्तावेज व बयान लिये बिना ही स्वर्गीय नेमचंद पुत्र फुलचंद के वारिसान अपीलार्थी के नाम नामान्तरकरण दर्ज नही कर गलत रुप से नेचमंद पुत्र नवलमलजी जैन के वारिसान प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 व उनकी माता भूरीबेन के पक्ष में नामान्तरकरण किया है। वर्तमान में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की माता भूरीबेन का स्वर्गवास हो चुका है, जिसके कायम मुकाम व वारिस प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ही है। अपीलार्थी के पिता/पति नेमचंद जी के सगे भाई धर्मचंद व अमृतलाल पुत्र फुलचंदजी विवादित भूमि में सह खातेदार है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि नेमचंद पुत्र फुलचंदजी के वारिसान अपीलार्थीगण ही है। अपीलार्थी व्यवसाय हेतु बाहर रहते है एवं उनके वती उनके काका विवादित भूमि में काश्त करवाते है जिससे विवादित भूमि के संबंध में राजस्व रेकर्ड के नकलों की कभी आवश्यकता नही हुई। अभी अपीलार्थी के काका धर्मचंदजी का देहावसान हो जाने से विवादित भूमि में नामान्तरकरण दायर करने हेतु राजस्व रेकर्ड जमाबंदी की नकल दिनांक 13.1.2021 को प्राप्त की जिसका अवलोकन करने पर यह जानकारी हुई कि नेमचंदजी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कृषि भूमि का प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 तथा उनकी माता भूरीबेन का गलत रुप से नाम दर्ज हो गया है जिस पर नामान्तरकरण संख्या 624 की नकल उसी दिन प्राप्त कर जानकारी तिथी से अन्दर मियाद यह अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा करते हुए अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 624 दिनांक 30.5.2000 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थीगण के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज कर स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार, रेवदर को निर्देशित किया जावे। जबकि पैरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि ग्राम लुणोल, पटवार हल्का लुणोल के खसरा संख्या 527 व 545 कुल किता 2 रकबा 5.04 बीघा भूमि के सहखातेदार नेमचंद पुत्र फुलचंद जी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 624 दिनांक 30.5.2000 को प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 व भूरीबेन के पक्ष में दायर होकर स्वीकृत हुआ है।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि ग्राम लुणोल, पटवार हल्का लुणोल के खसरा संख्या 527 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा व खसरा संख्या 545 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 5.04 बीघा भूमि के सह खातेदार नेमचन्द पुत्र फूलचन्द महाजन की मृत्यु के बाद हल्का पटवारी, लुणोल द्वारा पुखराज, अशोक पिसरान– नेमचंद (प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2) व श्रीमती भूरी पत्नी नेमचंद के पक्ष में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 624 दायर किया गया, जिसे तहसीलदार, रेवदर द्वारा दिनांक 30.5.2000 को स्वीकृत किया गया है। तहसीलदार, रेवदर द्वारा ग्राम लुणोल, पटवार हल्का लुणोल के स्वीकृत नामान्तरकण संख्या 624 दिनांक 30.5.2000 को निरस्त कराने हेतु अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 28.1.2021 को प्रस्तुत की गई है, जो विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 624 दिनांक 30.5.2000 को निरस्त कराने हेतु यह अपील प्रत्यर्थी के विरुद्ध विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किया है, जिसमें अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 624 दिनांक 30.5.2000 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भावनापूर्ण होना प्रतीत होता है। अपीलार्थीगण ... नामान्तरकरण संख्या 624 दिनांक 30.5.2000 को निरस्त कराने हेतु ... न्यायालय में जानकारी

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally Signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.08.02 12:43:17 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 13.1.2021 से अन्दर मियाद प्रस्तुत की है। विधिक दृष्टान्त आर.आर.सी. 1999 पेज 11 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि "मियाद अवधि जानकारी की तारीख से प्रारम्भ होती है न कि आदेश की तारीख से।" ऐसी स्थिति में, अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 624 दिनांक 30.5.2000 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन करते हुए इस अपील को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जा रहा है।

अपीलार्थीगण का मुख्यतः कथन यह है कि "ग्राम लुणोल, पटवार हल्का लुणोल, तहसील— रेवदर, जिला— सिरोही में खसरा संख्या 527 व 545 कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा भूमि अपीलार्थी के पिता/पति नेमचंद, धर्मचंद, अमृतलाल पिसरान— फुलचंद जी महाजन के नाम की आई हुई है। अपीलार्थी अपने व्यवसाय हेतु अहमदाबाद में निवारत है। अपीलार्थी के पिता/पति नेमचंद पुत्र फुलचंदजी है जिनका स्वर्गवास हो चुका है एवं नेमचंद पुत्र फुलचंद जी के स्वर्गवास के बाद पटवारी हल्का [illegible] नामान्तरकरण संख्या 624 दायर किया, जिसे तहसीलदार, रेवदर द्वारा दिनांक 30.5.2000 को स्वीकृत किया गया है। पटवारी हल्का लुणोल व तहसीलदार, रेवदर ने बिना कोई जांच पडताल एवं अपीलार्थी के दस्तावेज व बयान लिये बिना ही स्वर्गीय नेमचंद पुत्र फुलचंद के वारिसान अपीलार्थी के नाम नामान्तरकरण दर्ज नही कर गलत रुप से नेचमंद पुत्र नवलमलजी जैन के वारिसान प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 व उनकी माता भूरीबेन के पक्ष में नामान्तरकरण किया है।"

प्रकरण में अपीलार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आयकर विभाग द्वारा अशोक कुमार नेमीचंद जैन के नाम से जारी पेन कार्ड नंबर AACPJ5411A की छायाप्रति के अवलोकन से यह पाया गया कि पेन कार्ड में अशोक कुमार नेमीचन्द जैन के पिता का नाम नेमीचंद नवलमल जैन अंकित है, जबकि विवादित भूमि के मृतक सह खातेदार नेमचंद के पिता का नाम फूलचंद है। प्रकरण में अपीलार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2072—2075 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम लुणोल, पटवार हल्का लुणोल के खसरा संख्या 527 व 545 कुल किता 2 रकबा 5.04 बीघा भूमि में नेमचंद पुत्र फुलचंद के भाई धरमचन्द, अमृतलाल पिसरान— फूलचन्द महाजन का नाम भी बतौर सह खातेदार दर्ज है।

अतः अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, रेवदर द्वारा ग्राम लुणोल, पटवार हल्का लुणोल के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 624 दिनांक 30.5.2000 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, रेवदर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक खातेदार नेमचंद पुत्र फूलचंद महाजन के विधिक उत्तराधिकारियों की जांच कर अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर देते हुए नेमचंद पुत्र फूलचंद महाजन के विधिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में पुनः नियमानुसार नामान्तरकरण दायर करवाकर निर्णित करने की कार्यवाही करे। निर्णय सुनाया गया।

20/7/2021

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर सिरोही (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.08.02 12:43:17 IST
Reason: SelfAttested